संख्या–24 / पांच–5–2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 09 जनवरी, 2022**

विषयः–कोविड–19 रोगियों हेतु होम आइसोलेशन तथा डिस्चार्ज पालिसी के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देश के अनेक प्रदेशों के समान माह दिसम्बर के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कोविड–19 रोग के रोगियों की संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है। इस सन्दर्भ में प्रदेश में पूर्व प्रख्यापित विभिन्न दिशा–निर्देशों को सम्यक विचारोपरांत अद्धयुनांत करते हुए होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में भारत सरकार के नवीनतम दिशा–निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाले रोगियों हेतु निम्नवत संशोधित होम आइसोलेशन तथा डिस्चार्ज पालिसी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः–

1. **लक्षण विहीन तथा माइल्ड सिंप्टोमेटिक रोगियों के होम आइसोलेशन तथा डिस्चार्ज हेतु पालिसी**

लक्षण विहीन (एसिंप्टोमेटिक) रोगी : प्रयोगशाला परीक्षण में धनात्मक पाए गए ऐसे रोगी जिनमें किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित ना हो रहा हो तथा जिनका रूम एयर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% अथवा इससे अधिक हो।

माइल्ड सिंप्टोमेटिक रोगी : प्रयोगशाला परीक्षण में धनात्मक पाए गए ऐसे ज्वरविहीन अथवा ज्वरयुक्त रोगी जिनमें केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हों परंतु सांस लेने में कठिनाई जैसा कोई लक्षण ना हो तथा जिनका रूम एयर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% अथवा इससे अधिक हो।

1.1. घर पर आइसोलेशन (होम आइसोलेशन) में रखे गए लक्षण विहीन (एसिंप्टोमेटिक) तथा माइल्ड सिंप्टोमेटिक रोगियों हेतु व्यवस्था :

1.1.1. होम–आइसोलेशन हेतु पात्रता–

1.1.1.1. उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षणरहित (asymptomatic) अथवा माइल्ड सिंप्टोमेटिक रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो।

1.1.1.2. ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारंटाइन करने की सुविधा उपलब्ध हो।

1.1.1.3. 24 घंटे रोगी की देखरेख करने के लिए एक देखभाल करने वाला व्यक्ति (care-giver) उपलब्ध हो (आदर्श रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपना कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम पूरा कर लिया हो)।

1.1.1.4. 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति तथा ऐसे रोगी जिनमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हृदय रोग, फेफड़ों, जिगर अथवा गुर्दे की लंबी बीमारी अथवा सरिब्रो वैस्कुलर तंत्र से

संबंधित कोई रोग हो को चिकित्साधिकारी के द्वारा उचित आकलन के उपरांत ही होम आइसोलेान की अनुमति दी जाएगी।

1.1.1.5. इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड रोगी (ऐसे रोगी जिनकी रोग–प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश कमजोर है यथा एच0आई0वी0 रोगी, अंग प्रत्यारोपण के कराए रोगी, कैंसर कीमोथेरेपी प्राप्त कर रहे रोगी इत्यादि) को सामान्यतः होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार के रोगी को चिकित्साधिकारी के द्वारा उचित आकलन के उपरांत ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।

1.1.1.6. सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाए रखना होम–आइसोलेशन के लिए एक प्रमुख अनिवार्यता होगी।

1.1.1.7. देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं रोगी के घरेलू सम्पर्को को क्वारंटाइन प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी।

1.1.1.8. रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्व को स्वीकार करना होगा तथा सम्बन्धित जनपद के जिला सर्विलान्स अधिकारी को इसकी नियमित सूचना प्रदान करनी होगी।

1.1.1.9. रोगी को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–1) पर सेल्फ–आइसोलेशन हेतु एक अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा आइसोलेशन गाइडलाइन्स का अनुपालन करना होगा। इस पर सम्यक विचारोपरान्त, उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक द्वारा होम–आइसोलशन की अनुमति दी जाएगी।

1.1.2. चिकित्सा की आवश्यकता की स्थिति (Danger signs) **–** रोगी एवं देखभाल करने वाले व्यक्ति नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे। निम्नलिखित गंभीर लक्षण विकसित होने पर तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों/नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया जाएगा–

1.1.2.1. तीव्र ज्वर (3 दिनों से अधिक के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक)

1.1.2.2. सांस लेने में कठिनाई

1.1.2.3. ऑक्सीजन सेचुरेशन में कमी (रूम एयर पर SpO2 94% से कम – 1 घंटे के भीतर कम से कम 3 रीडिंग) अथवा श्वसन दर 24/मिनट से अधिक

1.1.2.4. सीने में लगातार दर्द/दबाव

1.1.2.5. मानसिक भ्रम या जागृत रहने में असमर्थता

1.1.3. <u>रोगियों तथा उनके परिचारकों हेतु दिशा निर्देश</u> : होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी चिकित्सकीय आवश्यकता पड़ने पर संलग्नक–2 में दिए गए अपने जनपद के आई0सी0सी0सी0 के दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं।

1.1.4. जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों की भूमिका–

1.1.4.1. जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा होम–आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों का अनुश्रवण किया जाएगा।

1.1.4.2. होम–आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुश्रवण फील्ड स्टाफ/सर्विलान्स टीम के साथ–साथ एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा किया जाएगा तथा शरीर का तापमान, पल्स–रेट एवं आक्सीजन संतृप्ता को रिकार्ड किया जाएगा। फील्ड स्टाफ के द्वारा रोगी एवं देखभाल करने वाले व्यक्ति को इन पैरामीटर को नापने के लिए संवेदित किया जाएगा।

1.1.4.3. होम–आइसोलेशन में रखे गए रोगी का विवरण नियमित रूप से कोविड पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा इस अपडेशन का अनुश्रवण किया जाएगा।

1.1.4.4. होम–आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने अथवा उपचार की आवश्यकता की स्थिति में रोगी को शिफ्ट करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा तत्काल निर्णय लिया जाएगा।

1.1.4.5. फील्ड स्टाफ द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी परिजनों एवं नजदीकी सम्पर्कों का अनुश्रवण एवं टेस्टिंग किया जाएगा।

1.1.5. होम–आइसोलेशन की समाप्ति– निरंतर 03 दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में होम–आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों का होम–आइसोलेशन सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 07 दिनों के पश्चात समाप्त माना जाएगा। होम–आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। इस हेतु फॉलो–अप जाँच की आवश्यकता नहीं होगी। रोगी उत्तरवर्ती एक सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।

1.1.6. कोविड धनात्मक रोगियों के संपर्कों की कोविड जांच हेतु व्यवस्था : कोविड धनात्मक रोगी के घरेलू संपर्कों की अनिवार्य रूप से तत्काल कोविड जांच की जाए, घरेलू संपर्कों के अतिरिक्त केवल लक्षण युक्त संपर्कों की ही जांच किया जाना अनिवार्य होगा।

1.1.7. रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा होम आइसोलेशन केसेज के स्वास्थ्य की स्थिति के आकलन हेतु गृह भ्रमण :

1.1.7.1. **समस्त जनपदों में :** होम आइसोलेशन प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक केस का प्रथम गृह भ्रमण–पात्र व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति तथा होम आइसोलेशन हेतु घर की परिस्थिति के आकलन हेतु।

1.1.7.2. **प्रतिदिन 100 से कम नए केसेज वाले जनपदों में :** होम आइसोलेशन के तीसरे तथा सातवें दिवस रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के आकलन हेतु गृह भ्रमण।

1.1.7.3. **प्रतिदिन 100–200 नए केसेज वाले जनपदों में :** होम आइसोलेशन के तीसरे दिवस रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के आकलन हेतु गृह भ्रमण।

1.1.7.4. **प्रतिदिन 200 से अधिक नए केसेज वाले जनपदों में :** होम आइसोलेशन प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवसों तक प्रतिदिन होम आइसोलेटेड रोगियों को इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कण्ट्रोल सेण्टर के माध्यम से फोन कर रोगियों में किसी लक्षण के विकसित होने के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

2. **<u>कोविड फैसिलिटी में भर्ती लक्षण विहीन (एसिम्प्टोमैटिक) अथवा कम तीव्रता के (Mild) लक्षणों वाले रोगियों हेतु व्यवस्था</u> : लक्षण विहीन (एसिम्प्टोमैटिक) अथवा कम तीव्रता के (Mild) लक्षणों वाले रोगियों को केवल ऐसी परिस्थिति में ही भर्ती किये जाने की आवश्यकता है जब उनके निवास स्थान पर पृथक आइसोलेशन हेतु उचित व्यवस्था ना हो।**

2.1. ऐसे व्यक्तियों को अधिक बेड क्षमता वाले एल–1 अथवा एल–1 समकक्ष फैसिलिटी में भर्ती किया जाए तथा फैसिलिटी में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों को सभी रोगियों का तापमान, श्वसन दर तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन दिन में तीन बार नापने के निर्देश दिया जाए।

2.2. यदि किसी रोगी को तापमान, श्वसन दर तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन के आधार पर लेवल–2 अथवा लेवल–3 चिकित्सालय में भर्ती किये जाने की आवश्यकता है, तो फैसिलिटी प्रभारी के द्वारा तत्काल इस रोगी के उचित स्तर के चिकित्सालय में संदर्भन की व्यवस्था की जाएगी।

2.3. 07 दिनों के आइसोलेशन के उपरांत (जिसके अंतिम तीन दिवसों में रोगी ज्वर विहीन रहे हों) आइसोलेशन की अवधि समाप्त हो जाएगी। ऐसे रोगी को रिकवर्ड माना जाएगा तथा पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि भी रिकवर्ड के रूप में की जाएगी। इस हेतु फॉलो–अप जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

2.4. रोगी उत्तरवर्ती एक सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।

3. **<u>मध्यम तीव्रता वाले लक्षणों (Moderate) तथा गंभीर रोगियों (Severe) हेतु डिस्चार्ज पालिसी</u>**

3.1. ***<u>मध्यम तीव्रता (Moderate) श्रेणी</u>*** में वे मरीज आएंगे जिनमें लोअर रेस्पिरेट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण प्रदर्शित हुए हों, यथा खाँसी, बुखार इत्यादि के साथ साँस लेने में परेशानी, नेजल फ्लेयरिंग, पसली चलना, तीव्र श्वास दर आदि। इस प्रकार के रोगियों को **L2/L3 Facility (Dedicated COVID Hospital)** पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जायेगा।

3.2. **सघन चिकित्सा की आवश्यकता समाप्त हो जाने के उपरांत यदि रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तथा वह लक्षण विहीन है अथवा बहुत हलके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे उपचार करने वाले चिकित्सक के द्वारा कोविड सैम्पल लिए जाने की तिथि के न्यूनतम सातवे दिन अथवा इसके उपरान्त बिना फालोअप कोविड जांच की आवश्यकता के कोविड पोर्टल पर डिस्चार्ज अंकित करते हुए डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के रोगियों को चिकित्सालय में लक्षण विहीन होने की स्थिति में फॉलोअप जाँच ऋणात्मक आने के उपरांत अथवा चिकित्सालय से होम आइसोलेशन में जाने की स्थिति में इस होम आइसोलेशन के प्रारंभ होने के 07 दिन के उपरान्त पोर्टल पर/डिस्चार्जड अंकित किया जा सकता है।**

3.3. **रोगी उत्तरवर्ती एक सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।**

3.4. ***<u>गंभीर रोगी की श्रेणी</u>*** में वे मरीज आयेंगे जिन्हें ऑक्सीजन दिए जाने पर भी ये मरीज ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें वेंटीलेटर की आवश्यकता है अथवा जो मध्यम तीव्रता लक्षणों के साथ इम्यूनो कम्प्रोमाईज्ड (कैंसर अथवा एचआईवी रोगी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाए हुए व्यक्ति) हैं। इस प्रकार के रोगियों को **L2/L3 Facility (Dedicated COVID Hospital)** पर भर्ती अथवा संदर्भित किया जायेगा।

3.4.1. इस श्रेणीं के रोगियों को सघन चिकित्सा की आवश्यकता होने तक ही आई0सी0यू0 में भर्ती रखा जायेगा। सघन चिकित्सा की आवश्यकता समाप्त हो जाने के उपरांत मरीज के पूर्ण रूप से स्थिर होने तक मरीज को उसी चिकित्सालय के ऑक्सीजन सुविधा युक्त स्टेप डाउन वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है।

3.4.2. पूर्णतः लक्षण विहीन होने अथवा बहुत हलके लक्षण प्रदर्शित करने तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त हो जाने तक मरीज को स्टेप डाउन वार्ड में भर्ती रखा जायेगा।

3.4.3. रूम एयर पर ऑक्सीजन सेचुरेशन मेन्टेन करने की स्थिति आने पर उपचार करने वाले चिकित्सक के द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत मरीज को कोविड सैम्पल लिए जाने की तिथि के न्यूनतम सातवें दिन अथवा इसके उपरान्त फालोअप जांच ऋणात्मक आने की स्थिति में डिस्टार्च किया जाएगा। यदि ऐसे किसी रोगी रूम एयर पर आक्सीजन से सेचुरेशन मेन्टेन करने की स्थिति आने के उपरान्त भी, की फालोअप जांच ऋणात्मक नहीं आई है तो ऐसे रोगी को 03 दिन बाद फालोअप जांच करने की सलाह के साथ फैसेलिटी से डिस्चार्ज किया जा सकता है।

3.5. **रोगी उत्तरवर्ती एक सप्ताह तक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।**

4. ***<u>सभी श्रेणियों के रोगियों को डिस्चार्ज किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि</u>***

4.1. रोगी में किसी प्रकार के मध्यम अथवा गंभीर श्रेणी के लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं।

4.2. रोगियों का ऑक्सीजन सैचुरेशन बिना किसी सपोर्ट के रूम एयर पर 94% अथवा इससे अधिक है।

5. <u>अन्य आवश्यक निर्देश –</u>

5.1. सभी प्रकार के मरीजों को डिस्चार्ज किए जाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके द्वारा कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान पहने गए वस्त्रों को भली–भांति विसंक्रमित कर दिया गया है। साथ ही डिस्चार्ज किए जाते समय इन मरीजों के मोबाइल फोन,

जूते चप्पल तथा अन्य सभी सामग्री का विसंक्रमण अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अथवा हाइड्रोजन पराक्साइड के द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

5.2. इन मरीजों को यह अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए कि वह घर पर जाने के उपरांत वर्तमान में पहने गए कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह धुलवाने के उपरांत ही पुनः प्रयोग करें।

5.3. सभी मरीजों से होम क्वारंटाइन के दिशा–निर्देशों सहित अन्य सभी आवश्यक निर्देशों का अनुपालन करने के सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कराये जाएँ। सहमति पत्र के प्रावधानों को विस्तार से समझाया जाए तथा यह बताया जाये कि किस प्रकार होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने पर वे अपने परिवार तथा समाज में इस बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद कर पाएंगे।

5.4. डिस्चार्ज के उपरान्त पुनः लक्षण प्रदर्शित होने पर कोविड केयर सेण्टर/हेल्पलाइन नंबर पर आवश्यक रूप से सूचित करने हेतु निर्देशित करें।

5.5. डिस्चार्ज होने के 14 दिवसों के उपरान्त पुनः लक्षण प्रदर्शित होने की स्थिति में व्यक्ति को नवीन रोगी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

9.1.22

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–24(1)/पांच–5–2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
(4) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) महानिदेशक, चिकित्सा परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

vikas/go.

सेल्फ–आइसोलेशन हेतु अण्डरटेकिंग

मैं ....पुत्र / पत्नी ....निवासी.. कोविड–19 का पुष्ट/संदिग्ध रोगी चिन्हित होने पर एतद्द्वारा स्वेच्छा से बताई गई अवधि तक कड़ाई से सेल्फ–आइसोलेशन में रहने का प्रतिज्ञा करता हूँ। इस अवधि में, मैं स्वयं का एवं अपने निकट के व्यक्तियों के स्वास्थ्य का अनुश्रवण सुनिश्चित करुंगा तथा स्वंय के स्वास्थ्य में गिरावट अथवा परिजनों में कोविड–19 के किसी भी लक्षण के विकसित होने पर निर्धारित सर्विलांस टीम/नियंत्रण कक्ष से तत्काल सम्पर्क स्थापित करुंगा एवं इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा।

मुझे सेल्फ–आइसोलेशन के दौरान अपनाई जाने वाली समस्त सावधानियों को विस्तार से समझा दिया गया है।

सेल्फ–आइसोलेशन प्रोटोकॉल के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर प्रचलित विधि के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। मेरे विरुद्ध महामारी अधिनियम 1897 एवं उ0प्र0 महामारी नियंत्रण अध्यादेश, 2020 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर–

दिनांक–

मोबाइल–

संलग्नक - 2

DISTRICT WISE CONTACT INFORMATION		
S.No.	District	INTEGRATED COMMAND CENTER
1	AGRA	0562-2600508, 0562-2600412, 0562-2551601, 09458569043
2	ALIGARH	0571-2420100, 0571-2420101, 0571-2420102, 0571-2420141, 07906461811
3	AMBEDKAR NAGAR	05271-244551, 05271-244552, 05271-244655, 05271-244656, 05271-244657, 05271-244658, 05271-244660, 05271-244660, 08423526808
4	AMETHI	05368-244499, 05368-244003, 05368-244002, 05368-244011, 05368-244355, 05368-244108, 05368-244499, 05368-297006
5	AMROHA (J.P.NAGAR)	05922-252288, 05922-252289, 05922 253430, 05922-252555, 05922-252777, 05922-252600, 05922-252700
6	AURAIYA	09458517315, 09458514922, 09458518961,
7	AYODHYA	07081670802, 08881004894, 08115692302
8	AZAMGARH	05462-356039, 05462-356040, 05462-356041, 05462-356044, 09454417172,
9	BAGHPAT	0121-2220027, 0121-2220100, 9560808411
10	BAHRAICH	05252-232888, 08881324365, 09369842855, 07880482465, 09369842855, 08400327602, 07307633746
11	BALLIA	05498-220857, 09454417979
12	BALRAMPUR	07081224641, 07268935017, 07268934989, 07880831068, 07268935016, 07393841715, 07268935017, 09170277336, 08960010336, 08922092542
13	BANDA	05192-221624, 05192-221625, 05192-221626, 05192-221627, 05192-221629, 05192-221630, 05192-221632, 05192-221633, 05192-221634, 05192-221635, 05192-221636, 08400542101
14	BARABANKI	18001804133, 05248-224849, 05248-229926, 05248-229916, 05248-226017
15	BAREILLY	0581-2511061, 0581-2428914, 0581-2511021, 0581-2428188
16	BASTI	05542-245672, 05542-245699, 07398372931
17	BHADOHI	05414-250223, 05414-250301, 05414-250302, 05414-250304, 09454416838
18	BIJNOR	01342-262031, 01342-262295, 09454416928
19	BADAUN	05832-266114, 05832-266441, 05832-266048, 05832-266051, 05832-266054, 05832-267147, 05832-267740, 05832-266979, 05832-266087, 05832-267119, 05832-266973, 05832-266663, 05832-266588, 05832-266050, 05832-266052, 09454415852, 07505395940, 07505389289
20	BULANDSHAHR	09045098278, 09045098303, 09045098175, 09045098242, 09045098193, 05732-283336, 05732-282828, 05732-283338, 05732-281123, 05732-280424, 05732-282855
21	CHANDAULI	05412-260084, 05412-260230, 05412-260738
22	CHITRAKOOT	05198-235425, 05198-298090, 08765473613, 08765473609
23	DEORIA	05568-222505, 05568-222261, 05568-220926, 05568-220308, 05568-222318, 05568-220071, 05568-225320, 05568-225325, 05568-225353, 09450494933,
24	ETAH	05742-234327, 05742-236400, 05742-234322, 05742-233174, 05742-297880, 05742-297900, 05742-297901, 05742-297902, 05742-234320, 07376624271, 18001803841
25	ETAWAH	05688-259697, 05688-258500,09045253394, 09045032394, 07310995962
26	FARRUKHABAD	05692-236899, 06306927030, 07607847144, 07275883283, 08528797203
27	FATEHPUR	05180-223012, 05180-221004, 05180-221005, 05180-298632, 09454417876, 09454417863
28	FIROZABAD	09045057650,07579829009, 09045057640
29	G. B. NAGAR	18004192211

30	GHAZIYABAD	0120-2829061, 0120-2829062, 0120-2829063, 0120-2829064, 0120-2829065, 0120-2829066, 0120-2829067, 0120-2829068, 0120-2829069, 0120-2829040, 0120-4186453, 08826797248, 09910426374
31	GHAZIPUR	0548-2226100, 0548-2226101, 0548-2226102, 0548-2226103, 0548-2226104, 0548-2226105, 0548-2226106, 0548-2226107, 0548-2226108, 0548-2226109, 0548-2226110, 0548-2226111, 0548-2226112, 0548-2226113, 0548-2226114, 0548-2224041, 07307565865, 18002576200
32	GONDA	05262-227855, 07398999406, 07398999705, 05262-230185, 05262-230125
33	GORAKHPUR	0551-2202205, 09532797104, 09532041882
34	HAMIRPUR	05282-222330, 05282-221196, 05282-225491, 09454417457
35	HAPUR	0122-2304834, 0122-2304837, 0122-2304838, 0122-2304835, 0122-2300058, 0122-2980035, 0122-2980036
36	HARDOI	05852-237620, 05852-237621, 05852-237622, 05852-237623, 05852-237624, 05852-237625, 05852-237626, 05852-237627, 05852-237628, 05852-237629, 05852-234629, 05852-234385
37	HATHRAS	05722-227041, 05722-227043, 05722-227076, 05722-227042, 05722-227044, 05722-227045, 05722-227046, 05722-227047, 05722-227048, 05722-227049
38	JALAUN	05162-252516, 05162-253357, 05162-250039, 05162-252313, 05162-257090, 05162-253372, 07307571929, 07307564677
39	JAUNPUR	05452-260501, 05452-260666, 09569434388
40	JHANSI	0510-2440521, 0510-2370621, 0510-2370622, 0510-2370623, 09450416457
41	KANNAUJ	09569337737, 08528656344, 09569514874, 07307721403, 07398004993, 07395086461, 07307578170, 09569337737
42	KANPUR NAGAR	18001805159
43	KANPUR DEHAT	09044070030, 07523947005
44	KASGANJ	08791292672, 08445154808, 08791392672, 07217474909, 08265848869, 08266987259, 08266987258, 07451038869
45	KAUSHAMBI	05331-232796, 09454417886, 07080039571, 09454418030, 07393057388
46	KUSHINAGAR	05564-240228, 9984943395, 8756243395, 9044943395, 7275974333, 9129998824
47	LAKHIMPUR KHERI	05872-258221, 05872-258222, 05872-258224, 05872-258223, 05872-270246, 05872-258220, 07269039532, 08917009946, 08934009975, 08933009927
48	LALITPUR	05176-272200, 05176-272335, 05176-272392, 05176-272914, 05176-272349, 05176-277399, 05176-272800, 05176-272700, 05176-272350, 05176-272454, 05176-274371, 05176-272613, 09454416374
49	LUCKNOW	0522-4523000, 0522-4523950, 09918001558, 09918001519, 09918001704, 09918001450
50	MAHRAJGANJ	09454416312, 07518526772, 09125067487, 05523222162, 05523222105, 05523222105, 05523222105, 05523222103
51	MAHOBA	05281-254901, 05281-254902, 05281-255659, 05281-297940, 05281-297939
52	MAINPURI	07310783430, 07376490774, 07376490438, 09411850426
53	MATHURA	0565-2974266, 0565-2974255, 0565-2974286, 0565-2974271, 0565-2974290
54	MAU	09454417991, 0547-2221565, 0547-2220564, 0547-2220553, 0547-2220583, 0547-2220534, 0547-2220538, 0547-2220595, 0547-2220537, 0547-2220550, 0547-2220551, 0547-2221713
55	MEERUT	0121-2664016, 0121-2660600,
56	MIRZAPUR	05442-253201, 05442-252900, 05442-256357, 05442-253622, 05442-252801, 05442-253623
57	MORADABAD	0591-2411224, 0591-2410886, 0591-2412728, 0591-2413025, 0591-2413150, 09454416867, 09454416893, 09454416885

58	MUZAFFARNAGAR	0131-2436918, 0131-2433023, 09412210080, 09412711920, 07579866073
59	PILIBHIT	05882-250036, 05882-255017, 05882-255019, 05882-255947, 07839853912
60	PRATAPGARH	09044406400, 09044490800, 07991620103,
61	PRAYAGRAJ (ALLAHABAD)	9649418686, 07458825340
62	RAE BARELI	0535-2208145, 0535-2204088, 0535-2204086, 0535-2204085, 0535-2204087, 0535-2204088, 0535-2204089, 09532511074, 09532647079,
63	RAMPUR	0595-2352498, 07247833311, 07535844422,
64	SAHARANPUR	0132-2723971, 0132-2723344, 0132-2723345, 0132-2720888, 09456002230, 09389793202
65	SAMBHAL	05921-243111, 05921-243035, 05921-243618, 05921-243112, 05921-243113, 05921-243114
66	SANT KABIR NAGAR	05547-226505, 05547-297226, 05547-226890
67	SHAHJAHANPUR	05842-220017, 05842-220018, 05842-220019, 05842-222712, 05842-222582, 05842-297279
68	SHAMLI	01398-270203, 01398-270940, 01398-270950, 01398-270960,
69	SHRAVASTI	09044287486, 07068144869, 08960498147, 07395045570, 08176978147, 07068143924, 08545092198
70	SIDDHARTH NAGAR	05544-222716
71	SITAPUR	05862-242400, 05862-240009,
72	SONBHADRA	05444-224953, 05444-222384, 05444-223676, 08840127444
73	SULTANPUR	05362-220203, 05362-220654, 05362-240242, 05362-241242, 05362-220189, 05362-243242, 05362-220242, 08604326253, 07393092463, 07607901559, 07607946545
74	UNNAO	0515-2820707, 0515-2820256, 0515-2970225, 0515-2820791, 0515-2820792, 0515-2820793, 0515-2820794, 0515-2820799, 09454417165, 09454417164, 09125385594, 09125385750, 09125385864, 09125385653, 09125385731, 09125385654, 09125385812
75	VARANASI	0542-2720005, 07307413510